

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
91/2023

दायर दिनांक  
18.10.2023

निर्णय दिनांक  
18.12.2024

- अनवान
1. नाथी पत्नि हजारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  2. प्रताबी पुत्री हजारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी दामाखेडा तहसील कपासन हाल मुकाम धमाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  3. रामकुरी पुत्री हजारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

- बनाम
1. शंकर पिता लालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  2. गणेश पिता जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
  3. रंगलाल पिता उदयराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट  
अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा  
शेष एकतरफा

अप्रार्थीगण  
प्रार्थीगण  
अप्रार्थी संख्या 1


---: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:--

---: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दामाखेडा पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 45 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 524 रकबा 0.02 हैक्ट0, आराजी संख्या 526 रकबा 0.45 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 10.01.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। वकील उभयपक्ष हाजिर। जवाब पेश नहीं किये जाने से जवाब बन्द किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण

Page | 1

  
सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजीयात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा दामाखेडा पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 45 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 524 रकबा 0.02 हैक्ट0, आराजी संख्या 526 रकबा 0.45 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुमालका)  
उपखण्ड अधिकारी  
(उपखण्ड कपासनिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़